रिसीव करती हैं और यह कह देते हैं कि मिल ने रिसीव कर लिया और सारा पैसा गोल हो जाता है। इसी तरह से कोयला, जो कोल फील्ड से आता है, वह मिल तक नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार पर्चेजेज में भी होता है। प्रति मन में 10 रु० का कमीशन पड़ जाता है। इस प्रकार लाखों रुपया कमा लेते हैं। तो क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार का मामला क्या मंत्री जी के निगाह में आया है, और अगर आया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?

चौथी बात लेबर के संबंध में है। मैं चाहूंगा, जो लगभग 55,000 मजदूर बेकार पड़े हैं उन के कल्याण की दृष्टि से, जिससे उनकी आजीविका चल सके इस दृष्टि से क्या सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल कर, जैसा भी सहयोगात्मक आधार पर व्यवस्था हो सके, क्या वह व्यवस्था की जा रही है?

श्री शिवराज वी० पाटिल: महोदय, अभी कहा गया है कि मिल्स घाटे में जा रही हैं तो उनकी मदद के लिए क्या किया जा रहा है। वह पहला सवाल है। तो उसका जवाब मैंने सविस्तार दिया है। लेकिन एक बात उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि अगर कोई मिल इस साल घाटे में जाती है तो हो सकता है अगले साल वह प्राफिट बना सकती है। पिछले वर्षों में उन्होंने प्राफिट बनाया है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के सारे लोगों को प्राफिट और लास मिल कर सहन करने की जरूरत है। तो हम आशा करते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज को इस साल घाटा हो रहा है तो मिल बंद नहीं होनी चाहिए। इस साल अगर घाटा हो तो वह सह लें, क्योंकि अगले साल उनको प्राफिट मिल जाए।

दूसरे, चेतावनी के बारे में हमने क्या किया, इसका भी बड़े ही विस्तार से मैंने उत्तर दिया है। मैंने बताया है कि क्या क्या चीजें इंडस्ट्रीज को मदद करने के लिए दी हैं। एक लाख बैल्स हमने लेने की कोशिश की है, क्रेडिट दिया है, बहुत सारी चीजें उनको दी हैं। उसके बाद भी अगर वह नहीं चला रहे हैं तो हमारी विनती रहेगी कि वह चलायें। नहीं चलाते हैं तो पैसा देने के बारे में बाद में तकलीफ हो सकती है।

एक विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी करने की कोशिश की है। जब किसी के खिलाफ एलिगेशंस होते है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हुए बिना पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत स्वरूप का प्रश्न होने की वजह से मेरे पास मालूमात नहीं हैं, उसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 1982. (Contd).

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for the opportunity. I will be very brief. This is a very important Bill or rather some amendments have been brought forward to a very important Act which was passed in the year 1960. I am very thankful to the hon. Minister for being here along with his State Minister. Sir, India is the land of Ahimsa and a land of Gandhiji. It is a land where thousands of years ago, our sage Tiruvalluvar in Tamil Nadu said:

"ARIVINAN AAGUVADHV PINDO PIRATHIN NOI THAIY NOI POL PORRAKADAYI"

It means: Think of the sufferings of all beings which are existing in the world like your own and help alleviate them. Why am I saying this? When the Prevention of Cruelty to Anim[illegible] brought forward in 1960, the intention was to codify all the existing rules and procedures. The present Bill or amendment, as the Memorandum envisages wants to make certain amendments to the Act in view of the past 20 years' experience. But I am very sorry to say that

[Shri R. Ramakrishnan.]

barring some administrative changes which you have proposed in the composition of the Board, there is nothing much in it. You also want to give it a name which will give it an all-India character, namely, Animal Welfare Board of India. You are also making some administrative changes in the Board of Directors of this Animal Welfare Board.—There is nothing of a very substantial nature which has been included in the amendments. No doubt, whatever amendments have been brought forward are very welcome and laudable, but they are not of a major nature. Why am I saying this? The enforcement of this Act has been observed more in the breach than in the observance. The rules have been breached very often. We have seen many times in urban India and rural India that the animals are being subjected to. untold cruelty and sufferings. I will give you an example. In the original Act or according to the rules framed under the original Act, for large bullock or large buffalo, the maximum load which can be taken is: If the two-wheeled vehicle is fitted with ball bearings, it is 1800 kilogrames; if it is fitted with pneumatic tyres, 1350 kilogramas and if it is not fitted with pneumatic tyres, 900 kilograms. But in actual practice, we know that the animals are made to pull or two animals are made to pull at least twice the load permitted by the rules. Another example is that of dhobies. According to rules, the maximum load that can be put on a donkey is 50 kilograms. Actually we see that there are two or three heavy loads of clothes and one boy or man sitting on it. These overloaded donkeys are everyday sights,

AN HON. MEMBER: What about the human beings?

SHRI R. RAMAKRISHNAN: What I am saying is that the rules framed under this Act are not being observed. What is more important is this. One of the amendments to the original Act envisages that the fine may be Rs. 10/- and it may extend to Rs. 50/-. In the original Act the maximum fine was Rs. 50/-. Therefore, there is no change absolutely and there is no element of deterrent punishment at all in the Act or Bill. The maximum imprisonment envisaged is only 3 months simple imprisonment. I would like to know on this occasion from the Minister whether he or his department has got any statistics of the persons prosecuted and punished under this Act for the last 20 years. Why I am wanting this information is, I want to tell the hon. Minister that the total number of persons who have been prosecuted under the Act is very low and if you take the comparison in India, the number of persons prosecuted in the South and action taken in the South is much more than in the North. That is why I welcome the amendment given by our hon. lady Member, Shrimati Usha Malhotra. She has given an amendment saying that the location of headquarters of the Animal Welfare Board should be at Madras. I *wholeheartedly endorse the amendment* and I hope the hon. Minister will be gracious enough to accept this amendment. In South the number of SPCA's is much more than in the North and they are quite active. And on this occasion I would like to suggest to the hon. Minister a very important lacuna which I think he must consider and bring forward an amendment under the Act at an early stage. The offences punishable under section 11(1) of the Act are not cognizable within the meaning of the Criminal Procedure Code of 1974. You will see that offences under section 11(1), sub-sections (1), (m), (n) and (o) only are made cognizable offences under the original Act. Actually if the Act is to be enforced, powers should be given to the State Governments to issue necessary instructions both to the SPCAs and to the police. All the offences listed under section 11(1) should be made cognizable within the ambit of the Criminal Procedure Code of 1974. Therefor, I would request the hon. Minister to see that this amendment is brought forward at the earliest. Are you aware, the SPCAs function under the control of the Animal Welfare Board and it is very necessary that though you have made a very representative character of the Board, the chairman of the Board should be a non-official, who has varied experience, like the retired Chief Justice of High Court or some such person, who has not only moral but socal sense of dealing with the things. He should not be a gov-

ernment official,, who amongst his multifarious governmental duties will not have full time to devote to this cause.

Then the total number of persons for representation to municipal corporations have been reduced from five to two. I do not know the rational which has weighed with the Government to reduce the number. In the original Act Municipal Corporations of Bombay, Delhi, Madras and Calcutta were there and one other Municipal Corporation had to be taken from all over India. Now you are reducing it from five to two. I do not know which are the municipal corporations you are going to take in this.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): By rotation.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: I just wanted to know this.

Before I conclude I would only say that there should be some attention paid to the state of the slaughter houses. No doubt, we are not in a position to completely ban this slaughter.. Though I am a vegetarian, cannot advocate vegetarianism throughout the country, but the manner in which they kill the animals leave much to be desired and animals are put to lot of sufferings, I would very much request the Minister to see that something is done about this.

There is one thing more. Now-a-days it has come in the newspapers also that there is some practice particularly prevailing in the northern parts of India for getting the soft skin of the lambs. Even the premature she-goats are forced to deliver the babies and the soft skin is taken out. In actual practice it means a lot of cruelty to these animals. Then these Vanamahatsava and SPCA weeks are celebrated all over India. They are observed just as a formality and after that no follow up is there. There should be some sense of education among the rural, semi-urban and urban masses on behaviour to animals. There should be a lot of publicity given to the necessity for being very soft to animals.

And I only conclude by again quoting from our sage saint Tiruvaliuvar which the hon. State Minister will appricate:

> *"Nalla anappaduvadhu Yadunin yadu onrum kollamai shuzum neri."*

This means, the best motto for a person in life is, do not make any living being suffer.

With these words I wholeheartedly support this Bill.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is really rather unfortunate that in this land of Buddha, Mahavir and Gandhi we are obliged to consider the need for enacting a law to prevent cruelty to animals. All our incarnations, all our religious leaders, saints and sages, as well as our poets, painters and sculptors; they have all drawn our attention to this one fact that all living beings are alike.

[The Vice-Chairman (Shri R. Ramakrishan in the Chair.]

Why? Because they all have soul—the Atma. And one soul is like any other soul. So we are all alike and we must have the due respect for all. Not to speak of animals, which, for the purposes of this Bill, include brids and insects as well, our scriptures even prohibit felling of green trees, because these trees also have souls and to avoid suffering to plants and trees, we should not fell even green trees. In fact, by our very nature, non-violence should have been in our blood and we should behave in a really humane way towards these animals who cannot express their pain and agony like we homo sapiens. But when we find that mass murders in cold blood are being committed in this country and innocent women and children are being done to death in the most human way, I wonder whether we really interested in preventing cruelty animals. However, since the Prevention Cruelty to Animals Act is already th and on the basis of our experience dur the last two decades, certain amendme

[Shri P. N. Sukul]

have been proposed therein, I support these amendments. But while supporting the Bill, I cannot forget that once in our own land there was a mighty king who readily agreed to part with his own flesh and blood just to save the life of an injured bird. The name of that king was Shivi as you must have read in the scriptures. There was another sage too who, likewise, gave his own flesh and blood to save the life of an injured bird and during his adolescence, even the Siddhartha, who later became Gautam Buddha, also saved the life of an injured swan from the cruel cluthes of a hunter when that swan had fallen into his lap. These persons were really epitoms of kindness not only to animals but to all living beings.

In our Bhagwad Gita, Lord Krishna says that there is absolutely no difference between a Brahman, a Pariah and a dog. So all have to be respected. This was our motto: We are all alike—all living beings. Therefore, Sir, our moral degeneration is colossal and consequently we have to have an Animal Welfare Board. Now whether we call it the Animal Welfare Board of India or simply Animal Welfare Board, it hardly makes any difference for the animals who only deserve to be spared of all the cruelty that is inflicted upon them. But, Sir, again, I fail to understand how can we prevent this cruelty when some of us want to do Karakuli caps, knowing it fully well that these caps are made of. . .

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mink coats also.

SHRI P. N. SUKUL: I will mention it, Sir. Just have some patience. I do not know why some of us want to don karakuli caps knowing that it is made of the skin of an unborn lamb whose mother is made to abort him and within 24 hours in front of that mother, the skin of that lamb is peeled off just like the skin of a banana.—Similarly, for mink coats too skins are peeled off. Just for a handful of silver our tuskers are killed with poisoned arrows and when they fall on the ground, with axes their tusks are severed from the bodies.

How painful it must all be! All these things have to be prevented if this Act has to be really successful in our country.

What is more, Sir, I have seen with my own eyes that so many of us who keep animals either to use them as beasts of burden or for pulling carts and carriages or even as pets at home, do not feed them properly, they are kept starved. In my humble opinion, keeping an animal starved is a more heinous crime than killing and that is why there must be exemplary punishment for all those who keep animals but don't feed them properly. In this Bill you have suggested a minimum fine of Rs. 10. In my humble opinion, their minimum fine is inadequate and it will not be able to achieve the ends of this Bill or the Act.

Sir, we also find that there is a provision with regard to providing sheds. That should be there. In each city there are carts, carriages, tongas and so on, but the sheds are not there. In the scorching sun, for hours together, these poor animals have to wait for passengers and for want of proper sheds they suffer from rain, sun and inclement weather. So, what I would suggest that there should be adequate provision of these sheds for the welfare of the animals.

As our honourable friend—who is now sitting on the Chair—has said just a little while ago, the condition of our slaughterhouses is very bad, most unhygienic and very cruelly goats, sheep, cows and buffaloes are done to death there. I would suggest that the slaughterhouses should be modernised all over the country as early as possible and if at all we have to kill these animals to consume them, we must also ensure that the killing is as painless as possible.

Sir, veterinary facilities are most inadequate in our country there are five lakh and odd villages in the country and there are only 5,000 and odd veterinary hospitals. It means that for one hundred villages on an average there is only one veterinary hospital and this provision is

really very inadequ... ...inary facilities have to be mul... ...further research he... for better and more effec... for the common diseases of an... ...Indian Veterinary Council Bill ... ...been referred to a Joint Co... of the two Houses and in the first two meetings of this Committee our hon. Members have expressed their grave concern about the inadequacy of these veterinary facilities in the country and they decided to make an in... ...y of these matters. I earnestly ... the Committee will also come out with suggestions for improvement in this regard.

Personally, Sir, I would also suggest that there should be provision for cattle insurance. If you really want to prevent cruelty to them, there should be provision for the insurance of cattle, at least, milk-giving cattle if not others, to begin with. This insurance will be in the best interests of the animals, the owners as well as the nation as a whole.

Sir, the hon. Minister was good enough to point out that the composition of the Welfare Board is being made more broad based through this Bill. I welcome that.

Additional representatives of the Home and Education Ministries will now be there on the Board. It is also a welcome step.

Sir, with these words, I welcome this Bill and support it.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, हमारे यहां आदि कवि ने सब से पहले कविता करुण से ही शुरू की थी—

मा निषाद: प्रतिष्ठा त्वमगम: शाश्वती समा .
यत् क्रौंच मिथुनादेकम्वधी काममोहितम् ।

क्रौंच के वध को देख कर बाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया । मुझे प्रसन्नता है कि पशुओं पर दया करने के लिए हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है (व्यवधान) लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि पशुओं ... सरकार भी कर रही है, ... संत भी कर रहा है । सरका... गोवध के विरोध मे आन्द... लेकिन उत्तर प्रदेश में ... आदमियों को आंख में पट्टी ... पेड़ से बान्ध कर घर, ... से लेकर कबूतर की तरह ... कर गोली से उड़ा दिया ... सरकारी संत ने कहा और ... कहा । मैं आपसे कहता ... रत्ती भर भी दया पशुओं ... आदमियों पर भी हो, इतना ... इस देश में 40 करोड़ ... हैं । गरीबी की रेखा से नीचे ... हर आदमी केवल मुंह से ... उनको ऊपर उठाना चाहिए ... तीन सौ रुपये से कम कोई ... वेतन नहीं पाता उसके ... लिए रोज लड़ते रहते है, ... करते हैं लेकिन इन 40 ... बारे में कभी नहीं सोचते ... दिया जाए सिवाय जवानों ... पशुओं का जहां तक ... पशुओं से भी बदतर ... आदिवासी, हरिजन, ... मजदूर जिसको खाने का ... नहीं है, उसको पशुओं के ... कभी हम समझेंगे ? मैं ... कहना चाहता हूं । पशुओं ... लेते है । दूध खूब पीते हैं ... खेती कराते है लेकिन जब ... है, ठोठ हो जाती है तो ... छोड़ देते हैं । बैल जब बूढ़ा ... उसकी भी पगहा काट कर ... कसाई के हाथ बेच देते ... मियां, मार खाए डफाली ... दूध पीये सामंत और ... यानी पगहा काट कर ... खेत चरने के लिए ... है यह तो रद्दी को ...

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

लायक है। ऐसे छोटे-छोटे संशोधन लाने से कुछ नहीं बनेगा मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इसके बारे में नये सिरे से विचार कर के दूसरा नया कानून बनाना चाहिये। मेरा यह भी कहना है कि पशुओं से काम लेने के बाद जो उनको लावारिश छोड़ देता है उनकी अधिक से अधिक सजा देने का प्रावधान किया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पशुओं के जीवन के साथ हमारे यहां कोई थोड़ा मामूली खिलवाड़ नहीं किया जाता है। हम लोग जब छोटे थे जब कभी आम के बागीचे में जाते थे। वहां पर इतने बन्दर होते थे वे कभी कभी एक दो चांटा लगा भी देते थे और फल भी खाते थे। बन्दरों की हत्या की गई, बन्दर का इतना निर्यात हो गया है विदेशो में। उनके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता है और प्रयोग किये जाते हैं विज्ञान के कि बन्दरों का सफाया हो गया है। अब आम के बगीचों में चले जाइये आप को बन्दर वहां नहीं मिलेंगे। जब हम लोग बच्चे थे तो प्रातः काल सियार इतना हल्ला करते थे जिससे लोग जाग जाते थे और कई बार तो इतना शोर होता था कि प्रातः सो भी नहीं सकते थे। मकई के खेत में मचान बन कर रात भर जागकर, टीन बजाकर, ढोल बजाकर सियार खदेड़ते थे कि कहीं मकई का नुकसान न हो जाए। लेकिन श्रीमन् आजकल एक भी सियार देखने को नहीं मिलता है। एकदम पशुओं का सर्वनाश अपने कर डाला।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कभी कभी हाउस में आवाज सुनाई देती है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हो सकता है हाउस में सियार आ गये होंगे वहां से। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इतने पशुओं के प्रति क्रूर हैं उनका वंश नाश ही करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बोझा ढोने के बारे में क्या कहा जाय। बैल को रोग हुआ है, चलने लायक नहीं है, घोड़े को सभी टांगें आपस में लड़ रही हैं लेकिन उस पर सवारी अधिक से अधिक बैठाई जा रही है। पुलिस के सामने बैठाई जाती है, बल्कि यह खुद भी मुफ्त में बैठ लेता है और जबरदस्ती पीट पीट कर उनको ले जाते हैं। आखिर यह कब तक अंधेर चलता चलेगा? कैसे चलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम आप क्या करेंगे? आपके यहां तो शौक एक चीज होती है मात्र, काट कर जूता बनता है, बछड़ों के चमड़े से बनाता है। बड़े शौक से गो रक्षा वाले पहनकर घूमते हैं। हम में से भी बहुत सारे हजार डेढ़ हजार के जूते पहनते हैं। पता नहीं कितनी नरम-नरम टोपियां बनती हैं बछड़ों को भेड़ के बछड़ों को मारकर। बहुत से सौन्दर्य प्रसाधन पशुओं को मार-मार कर बनते हैं। बड़े शौक से लिपस्टिक पता नहीं क्या-क्या लगाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सौन्दर्य प्रसाधन जो हैं और अमीरी के साधन जो हैं अभी हमारे एक भाई ने मिंक कोट का नाम लिया था, छोटे-छोटे हजारों जानवरों को मारकर वह बनता है। तो कितनी पशुओं पर दया है हमारे पास मैं नहीं समझ पाता केवल लफ्फाजी करने से फायदा क्या है। इतना ही नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच कोई दर्द पशु पक्षियों या किसी भी प्राणी के प्रति है क्योंकि हमारे धर्म का दुनिया भर में सबसे बड़ा लक्ष्य है। आत्मज. प्रतिकूल नि परेशाम समाचरेत। जो चीज हमको बुरी लगती है उसका आचरण दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। जब आप अपना मारना पसंद नहीं करते, अपने को रोगी हालत में किसी काम में जोता जाना पसंद नहीं करते, अपनी जान मरवाना पसंद नहीं करते तो क्यों

उनको मारते हैं। वह तो एक बहुत बड़ी चीज है ...... (व्यवधान) ठीक है अब क्या है सब नगद और उधार ...ड़ा है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि दो तरह के धर्म होते हैं, एक नगद धर्म और दूसरा उधार धर्म। नगद धर्म है सच बोलना, दया करना, आचरण करना, दूसरों का परोपकार करना और उधार धर्म है लम्बी दाढ़ी लम्बी चोटी टीका चढ़ाना और नमाज, पश्चिम रुख नमाज और पूरब रुख पूजा। यह सब उधार धर्म है। तो हम लोग उधार धर्म के पचड़े में ज्यादा है, लेकिन सही धर्म जो है वह आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत हैं। इसके बारे में कत्तई हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इतने क्रूर, पाखन्डी हो गये हैं कि मन, वचन, कर्म सारे के सारे हमारे दूसरे दूसरे हैं।

"मनस्येकम् वचस्यकम् कर्म मुस्येकम् महात्मनाम् ॥
मनस्न्यम् वचसत्यम्, कर्मसत्यम् दुरात्मनाम् ॥"

तो हम इतने दुरात्मा हो गये जो हमारी समझ में नहीं आता है (समय की घंटी) थोड़ा सा समय और दे दिजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पशुओं का, पक्षियों का इंतजाम ढंग से करें। इसके लिए श्रीमन् पैसे कमी नहीं है। हर गांव, हर शहर में, हर बाजार में हमसे धर्मादा का पैसा काटा जाता है और पता नहीं कितना धर्मादा पैसा सेठों के यहां पड़ा हुआ है इसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर में जो एक छोटा सा गांव है, दो वर्ष पहले टाउन एरिया ही गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां कई सेठों का घर धर्मशाला के नाम पर है कई सेठों का बगीचा धर्मशाला के नाम पर है। क्योंकि वह धर्मादा का पैसा जाये कहां। उनके बेटे बेटियों की शादियां धर्मादा से होती है, उनका सारा व्यापार भी धर्मादा के पैसे से चलता है। अगर ... आपने छोड़ रखा है ... यह सारा पैसा ... जितना अधिक में ...

4 P.M.

गोशालाएं बन... के लिए इंतजाम ... कोई कमी नहीं है। ... चाहता हूं कि जितना ... मैं समझता ... सेठों के यहां ... इस पर कोई हिसाब ...

एक ...

श्री राम ... धर्मादा कह दीजिए ... चाहता हूं कि ... कोई पैसा नहीं ... धर्म-कर्म के नाम ... अब केवल पैसा वसूल ... वसूल हो रहा है, ... लिए नहीं। बटे बेटी ... आराम के लिए हो ...

यह सजा बहुत ... संशोधन किया है। मैं ... हूं कि पशु जितने ... जुर्माना कीजिए, ... तक जुर्माना करिए, तीन साल तक की सजा ... उसका कोई असर ... कानून बना करके ... सारा खर्चा की ... अगर हम हस्तक्षेप ...

हमारा कानून ... क्या मतलब है ... बता दें। मिवाय ... जब चाहें, जहां ... केवल हड्डी मात्र ... नहीं चलेगा, इस ...

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

जानता है कि जब तक हड्डी नहीं टूटेगी, हस्तक्षेप अपराध नहीं बनेगा । इसलिए हर अत्याचारी आदमी गरीब को जब मारता है तो कहता है कि भीतरी घाव मारना छह महीने चारपाई पर रहे, दूध दही पीजियेगा, मर जाये, पर टूटे-फूटे नहीं । यह हमारे कानून की हालत है । (समय की घंटी)

हमारे पास समय नहीं है और उपसभाध्यक्ष जी, आपने घंटी बजा दी है, नहीं तो मैं आपको बताता कि अगर हमारा सारा कानून – अगर हस्तक्षेप अपराध नहीं है तो वह रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वह दहेज विरोधी चाहे वह शारदा ऐक्ट हो, या चाहे इस तरह के जितने भी हैं, कोई भी कानून कोई मतलब नहीं रखता । मैं जानता हूं कि पुलिस भ्रष्ट है। लेकिन भ्रष्ट भी पैसा वसूल करने के लिए तंग करने जाएगा ना और अगर भ्रष्टता के लिए ही, स्वार्थ के लिए ही जाएगा दहेज वाले को पकडने के लिए (समय की घंटी) तो कुछ लोग डरेंगे और बिना डर के राजा सोता है और दण्ड जागता है। मैं चाहता हूं कि आप सोते रहें सो रहे, हैं, लेकिन दण्ड को तो जागने दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : दण्ड को अगर सुला देंगे तो?

श्री राम नरेश कुशवाहा : अगर दण्ड को सुला देंगे, तो देश का सर्वनाश हो जाएगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मनुष्य का सर्वनाश हो रहा है, जिसको चाहो, जब चाहो जहां चाहो, मार डालो, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे यहां तो आधे मंत्री डकैत हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अभी अभी निर्भय नारायण सिंह ने हमारे दो कार्यकर्ताओं को मरवा डाला है। रामेश्वर सिंह जी ने उसको उठाया था।

अभी मैं जांच करने के लिए बलिया गया था। तो पता चला कि कुछ लोग जो गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि सहतवार के थानेदार ने किसी को पकड़ करके मार डाला । तो यह हालत है हमारे यहां, आदमी की कीमत तो है नहीं, तो पशुओं की कीमत आप क्या करेंगे ।

हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि इस विधेयक में सजा बढ़ाइये बल्कि इस विधेयक को बदल करके नया विधेयक लाइये, जिस प्रकार मैंने बताया है और मनुष्य पर भी रहम करने के लिए कोई उपाय निकालिये । अगर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। (समय की घंटी) अब आप घंटी बजा रहे हैं, तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो अधिनियम सदन के सामने है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जैसा आपने तिरुवल्लुवर के कथन से अपना भाषण समाप्त किया, यह सच है कि भारत की परम्परा में, पुराने संतों की परम्परा में जीव दया का बेहद महत्व हमारी संस्कृति में रहा है।

एक पौराणिक कथा के अनुसार ईश्वर ने पहले चार प्राणियों का सृजन किया, एक मनुष्य, दूसरा बैल, तीसरा कुत्ता और चौथा पक्षी उल्लू । और इन चारों से कहा कि जाओ, तुम को चालीस-चालीस वर्ष की आयु हमने प्रदान की है। मनुष्य का दिल छोटा हो गया। 40 वर्ष में क्या होगा मनुष्य योनि में? यह 40 वर्ष का जीवन मिला तो क्या होगा

इसमें ? लेकिन वह समझदार इन्सान था। उसने बहुत नम्रता से भगवान को प्रणाम किया और कहा धन्यवाद, इस कृपा के लिए। जब बैल की बारी आई उसको बनाया गया, उसको काम दिया गया, तो वह रोने लगा और बोला, अगर मुझे खाली बोझ ही उठाना है, तो 40 वर्ष तक बोझ उठाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। मनुष्य खड़ा था, उसने भगवान से प्रार्थना की कि इसका दुःख मैं ले लूंगा, इसी से पूछ लीजिए, कितनी आयु इसको चाहिए। बैल ने कहा कि बस, 20 वर्ष से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। तो मनुष्य ने कहा कि आपने मुझको मानव बनाया है, मुझे हृदय दिया है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसका कष्ट मैं बर्दाश्त करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तो 20 वर्ष की आयु और ले लो। तो मनुष्य इस प्रकार 40 से 60 वर्ष हो गया और बैल की आयु हो गई 20 वर्ष। कुत्ते की बारी आई तो उसने कहा मुझे आपने काम दिया है भौंकने का, तो कितना भौंकूगा ? 40 वर्ष तो बहुत होते हैं। तो तुमको कितना चाहिए ? मनुष्य ने कहा, इसका कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं, तुम कितना चाहते हो ? कुत्ते ने कहा 12 वर्ष। कुत्ते की आयु 12 वर्ष हो गई। मनुष्य ने उसके 28 वर्ष ले लिए। तो मनुष्य की आयु हो गई 88 वर्ष, बैल और कुत्ते की आयु को मिलाकर। अब उल्लू की बारी आई तो उसने कहा मेरे सिपुर्द यह काम है कि मैं अंधकार में देखता रहूं। 40 वर्ष तक देखना तो कठिन काम है। कितना चाहते हो ? कहने लगा, सिर्फ 20 वर्ष। मनुष्य ने कहा इसके 20 वर्ष मैं लेने को तैयार हूं। तो इस तरह मनुष्य की आयु हो गई 108 वर्ष, और इसीलिए लिखा जाता है, श्रीमान् 108। मनुष्य ने यह विश्वास दिलाया कि उनकी जो मैंने आयु ली है, उसके बदले उनके साथ मैं दया का बर्ताव करूंगा। दया के साथ पेश आऊंगा।

जब वे चले गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से मनुष्य बड़ा चतुर निकला आपने सब को चालीस-चालीस वर्ष की आयु दी थी लेकिन मनुष्य ने 108 वर्ष की आयु ले ली। भगवान ने उत्तर दिया कि मनुष्य अपनी चतुराई में यह भूल गया कि उसकी आयु केवल 40 वर्ष की है। बाकी जिस-जिस की आयु ली है, उनके जो गुण हैं, उन्हें भोगना पड़ेगा। यानी, 40 से 60 तक उसे अपने परिवार के लिये पिसना पड़ेगा और 60 वर्ष के बाद अपने नाती और पोतों को कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा और 88 वर्ष के बाद अंधकार में चुपचाप खामोश देखता रहेगा। तो इस तरह से, जो हमारी पौराणिक परंपरा है, उसके अनुसार, भी मनुष्य ने चतुराई से जानवरों की आयु ले ली, लेकिन यह विश्वास दिला कर कि उनके साथ वह दया का व्यवहार करेगा। लेकिन दया का व्यवहार उसने किया नहीं। बुद्ध की कथाओं में बार-बार यह आता है कि हे ब्राह्मण, इस गाय ने क्या कसूर किया है, क्या अपराध किया है, जो बेदर्दी के साथ उसका वध करते हो ? इसके बच्चे तुम्हारी खेती करते हैं। एक जगह नहीं कई जगह बुद्ध का उपलम्भ आता है, जिसमें उन्होंने ब्राहमणों को विशेष रूप से चेतावनी दी है। ब्राह्मणों में भी शर्मा होते हैं। शर्मा का अर्थ देखें। संस्कृत के मुताबिक श्री धातु से शर्मा शब्द निकला है:—

"श्री इति हिंसायम् इति शर्मणी"

यानी, जो हिंसा करे, यज्ञ में बलिदान करे, वह शर्मा। यानी, किसी जमाने में उनके पुर्खे शर्मा हुए होंगे। यज्ञों में बलिदान का काम उन के सिपुर्द होगा। लेकिन आज लोग उसी शर्मा शब्द को अपने नाम के साथ लगा लेते है।

इसी तरह से आप देखे, तो उत्तर रामचरित में, जब वशिष्ठ मुनि विश्वमित्र के आश्रम में आते है, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है कि लोग बहुत प्रसन्न थे कि इतने बड़े ऋषि हमारे आश्रम में आये है

[श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डे]

मिलने-जितने उनके शिष्य थे विश्वामित्र के, जब वे उपदेश सुनने के लिये बैठे तो एक शिष्य को लगा कि उसका साथी कहीं गायब है। वह उसको ढूंढते हुए जब गये तो उसने पाया कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा है। उसने कहा कि इतने बड़े मुनि हमारे आश्रम में आये हैं, उनका उपदेश सुनने के बजाय तुम रो रहे हो। उसने उत्तर दिया कि जिस कपिल गाय के बछड़े को हमने इतने प्रेम से पाला था, वह आज शाम ऋषि के उदर में चला जायेगा। इसका अर्थ यह है कि उस जमाने में भी जब बुद्ध के इतने अनुयायी हुए, तो इस लिये हुए कि बुद्ध ने यह अवाज लगाई कि पशुओं का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति कृषि की, अग्रिकल्चर की संस्कृति थी। उसके लिये हमको पशुओं की आवश्यकता थी। पशुओं के बचाव के लिये बुद्ध ने जब आवाज लगाई कि हत्या बन्द करो, तो बहुत बड़ी संख्या में कृषक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। यह इतिहास की बात है कि किस तरह से आर्थिक प्रश्न धर्म की वृद्धि में सहायता देते हैं।

अब आप देखें कि हमारी संस्कृति के साथ पूरी तरह से जानवरों का, पशुओं का योगदान बना हुआ है। अगर इंद्र हैं तो उनके साथ एरावत हाथी है। विष्णु हैं, तो उनके साथ गरुड़ है, शिव का वाहन नन्दी है, यम का वाहन कुत्ता है, सरस्वती का वाहन हंस है, गणेश का वाहन चूहा है। इसी तरीके कार्तिकेय का वाहन मोर है। तो हमारे यहां हर देवता के साथ वाहन के रूप में एक न एक पशु या पक्षी की सवारी निश्चित कर दी गई है। इस प्रकार हमारी संस्कृति में विशेष रूप से एक पशु को मनुष्य के साथ उसी आसन पर बैठाया गया है, उनको उतना ही पूज्य माना गया है जितना किसी दूसरे को माना जा सकता है।

भगवान के अवतारों कच्छ, मच्छ वाराह और नरसिंह आदि इस तरह के अवतारों की हमने कल्पना की है। जो अवतार पशुओं के साथ मेल खाते हैं और उनका स्थान किसी न किसी रूप में हमारी पौराणिक कथाओं में आता है। अगर इस्लाम में पैगम्बर, रसूल-अल्लाह मुहम्मद साहब की जिन्दगी को देखे तो ऐसी कई वारदातें आती हैं कि अगर चिड़िया के बच्चे को भी कोई उठा लाया, तो उन्होंने कहा कि उसको वापस ले जाकर घोंसले में रखो। उसकी मां आयेगी और बच्चे को नहीं देखेगी, तो उसे कितनी तकलीफ होगी। इस तरह के करीब करीब हर धर्म में इस प्रकार के सिद्धांत पर जोर देना रहा है कि पशुओं के साथ दया का भाव हमको रखना चाहिए। इसलिये सम्राट् अशोक ने भी गो-हत्या और उसके साथ-साथ जीव हत्या बहुत दिनों के लिये बन्द कर दी थी। यहां तक कि अकबर ने भी उसका पालन किया। अकबर ने 56 दिन ऐसे साल में बताये जिनमें जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का फरमान अकबर ने निकाला था। औरंगजेब के जमाने में भी गो-हत्या बिल्कुल बन्द थी। पहली दफा लार्ड लैक की आर्मी ने भरतपुर पर हमला किया तो उन्होंने सौ वर्षों के बाद गो-हत्या प्रारम्भ की। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसी स्थिति आ गई कि इसी चीज को लेकर हमारे यहां दंगे-फिसाद होने लगे। अकबर इलाहाबादी ने एक बड़ी चुटकी लेते हुए कहा था कि जब कुरबानी के लिये गाय ली जा रही थी तो हिन्दू पैसे देकर उसको छुड़ा लाये। लेकिन ऊंट की कुरबानी बराबर की गई। तो अकबर इलाहाबादी ने लिखा है: —

छूटी जो गाय माता,
हजरत से ऊंट बोले।
अफसोस शेख जी ने,
हमको पिता न माना।।

अगर मुसलमान ऊंट को पिता मान लेते तो ऊंट को वह बचा लेते । सवाल सिर्फ यह है कि जीव दया के साथ साथ हमारे यहां चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीवों को आरक्षण दें । इसके साथ साथ क्एलिटी भी हमारे यहां बहुत ज्यादा है । गांधीजी ने 1916– 17 में जब वह यहां आये थे, तो कलकत्ता में उन्होंने देखा फूंक प्रथा की वजह से गायों को किस तरह से बरबाद किया जाता है और दूध निकालने के लिये आखिरी ड्राप, आखिरी बूंद तक निकालने की कोशिश की जाती है । उन्होंने उस वक्त से गाय का दूध पीना बन्द कर दिया । अंतिम जीवन तक गाय का दूध नहीं पिया । लेकिन उसके बाद पिंजरापोल बने । पिंजरापोल में पाया रखने का प्रबन्ध किया गया । वे पिन्जरापोल भी ऐसे रहे कि वहां ज्यादातर धर्म के नाम पर बहुत सी गायों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, लेकिन उनकी देख-रेख करने का काम किसी ने नहीं किया, किसी ने वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया । इसकी शिकायत बराबर गांधीजी लोगों से करते रहे कि हमारे पिंजरापोल वास्तविक पिंजरापोल नहीं हैं । मैंने यह देखा कि वहां विदेशों में भी आजकल इस चीज को लेकर काफी प्रचार हो रहा है कि वैजिटेरियन, निरामिष भोजन का प्रयोग हो । स्टाकहोम विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिये मुझे बुलाया गया । जब मैं वहां गया तो इंडोलोजी डिपार्टमेंट की जो हैड थीं मैडम हंसा ग्यूलेवा उन्होंने मुझसे पूछा कि आप रात का भोजन कहां कर रहे हैं । मैंने कहा कि मैं रात का भोजन होटल में कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ भोजन करना पसंद करेंगे ? मैंने उनसे कहा कि इससे बढ़ कर और क्या बात होगी । मैंने कहा मुझको निरामिष भोजन की आदत है । उन्होंने मुझ से कहा

"I am also a vegetarian. What would you take for your vegetarian diet?"

मैंने उनसे कहा कि दूध या दही या उबली सब्जियां अगर चाहें तो दूध और दही गाय के दूध से ले लें और मक्खन में सब्जी तल दें ।

She asked me, "you take milk and milk preparations?"

मैंने कहा हां, । कहने लगीं

"Milk is hardly vegetarian. It is an animal food."

उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा भोजन दूंगी जिसमें मिल्क प्रिपरेशन नहीं होगी । चुनाचे उन्होंने जैतून का तेल और आलिवायल में और दूसरी चीजों में अपना भोजन तैयार करके दिया । यूरोप में साइंटिफिक तरीके से इस बात की कोशिश होती है कि वैजिटेरियन भोजन एक सांइटिफिक तरीके से लिया जाये । काफी संख्या में वहां वैजिटेरियनइज्म बढ़ रहा है । हमें यह देखना है कि किस तरह का यह बिल है । वैसे यह अच्छा है, लेकिन मुझको जो तजुर्बा है, मैं वह आपको बताता हूं । जब मैं इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन था तो वहां प्रिवेंशन आफ क्रुएलिटी एटू निमल्स डिपार्टमेंट म्युनिसिपल बोर्ड के सुपुर्द था । वहां मैं देखता था कि उस जमाने में यह कोग्निजेबल अफेंस नहीं था । उसे कोई रोक नहीं सकता था । इसमें आपने इजाजत दी है । ऐसे आफिसर्स को जो अबव कांस्टेबल है उनके सुपु आपने कर दिया है । फिर भी आपने जो पहले अफेंस, दूसरे बार के अफेंस या तीसरे बार अफेंस की बात कही है, बहुत मुश्किल होता है कि पहले अफेंस वालों को पकड़ लिया तो दूसरे बार वाले को तलाश करें कि उसने दूसरा अफेंस किया नहीं, तीसरा अफेंस किया या नहीं बडा कठिन काम है पहले अफेंस के बाद

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

दूसरे या तीसरे अफेंस की किसी को सजा दिला सकें।

तो महज कागज पर कोई बात रखने से अपराध नहीं रुक सकते हैं। पहले अफेंस में उसको इतनी सजा मिल जाये कि जिससे वह दूसरा अफेंस न कर सके और तीसरे अफेंस की उस में जुर्रत ही न हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि इतना मजबूत आपका संशोधन नहीं है, जो आप इस बिल में लाये हैं; क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकलेगा।

जैसा मेरे भाइयों ने सरकार का ध्यान सवारियों की तरफ दिलाया है, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सारे रूल्स सवारियों के संबंध में बनाये जाते हैं। लेकिन वे रूल्स ताक पर रख दिये जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि जिस वाहन में तीन सवारियां बैठनी चाहिए उनमें 8-8 और 10-10 सवारियां बैठा दी जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जानवर का कचूमर निकल जाता है और उसका जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायटेशन हो सकता है, वह करने की कोशिश की जाती है। इसलिये यह भी देखने की बात है कि हमारे जो म्युनिसिपल लाज हैं, जो ट्रांसपोर्ट के संबंध में बनाये गये हैं उनको सख्ती के साथ कैसे अमल में लाया जाये। जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा, हमें यह भी देखना है कि हमारे यहां से जो बन्दर बाहर एक्सपोर्ट किये जाते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। मैंने देखा है कि इस प्रकार के बंदरों को बांस के किसी कटघरे में रखा जाता है और 20—25 बन्दरों को एक साथ रख दिया जाता है। वे प्यास मे तड़प रहे थे। ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि उनके पार्सल जब दूसरे देशों में पहुंचे तो आधे से ज्यादा बन्दर मरे निकले इसलिये यह भी देखना है कि जो एयर कंपनियां इस प्रकार के कारगो को ले जाती हैं वे उस कारगो को किस तरह से ले जाती हैं। उसके लिये भी कोई नियम होने चाहिए जिससे उनकी इस प्रकार से मृत्यु न हो सके और ठीक से अपनी जगह पर पहुंच सकें। कुछ रोग हैं जिनके ब में एक्सपैरिमेंन्ट्स किये जाते हैं, की जाती है। हमें यह भी देखना चाहिए कि ये एक्सपैरिमैन्ट्स किस तरह के किये जाते हैं।

आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि हम और आप तो वेजीटेरियन हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज नान-वेजीटेरियन की संख्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी जातियां जो पहले मांस नहीं खाती थी वे भी अब मांस खाने लगी हैं। मुझे यह सब देख कर एक बार बड़ी हैरत हुई। मैं मद्रास से आ रहा था। उसी कूपे में मेरे साथ जो पैंसेजर बैठ हुए थे वे जैन थे। वे सतना जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते है तो कहने लगे कि मैं इंजीनियर हूं। उसके बाद हमने खाने का आर्डर दिया। मैंने वेजीटेरियन का आर्डर दिया और उन्होंने नान वेजीटेरियन का आर्डर दिया। आजकल हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति हो गई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर रामकृष्णन) : अब जमाना बदल गया है।

श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डे : जी हां, इस प्रकार से रिवाज बदलता जा रहा है। सवाल यह है कि आप वेजीटेरियन हों या नान-वेजीटेरियन हों, हम पशुओं के साथ दया का बर्ताव करते है या नहीं करते हैं। आपने इस बिल के जरिये से जो संशोधन किया है, उसके जरिये यह देखा जाना चाहिये कि पशुओं के साथ

दया का बर्ताव किया जाये । भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी पशुओं के साथ दया का बर्ताव होना चाहिये । इस दृष्टि से अगर आप इस बिल को देखें, तो इस बिल को जितना महत्व दिया जाये, उतना ही कम है । इसके विपरीत अगर हमारे देश में पशुओं के साथ निर्दयता का बर्ताव होता है तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे ? हिन्दुस्तान में अहिंसा और दया का भाव होते हुए भी और इस देश में भगवान महावीर, बुद्ध और गांधी जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं के बावजूद भी अगर पशुओं के साथ दया का बर्ताव नहीं किया जाता है, तो वह हमारे लिये अच्छा नहीं है । इसलिये मेरा कहना यह है कि हमें ऐसा कानून चाहिये जो एनफोर्स हो सके और जो हमारे देश में क्रूएलिटी टू एनीमल को रोक सके । आवारा कुत्तों की भी जहां तक बात है और जैसा कि आपने इसमें जिक्र किया है, उनकी इस तरह से मृत्यु होनी चाहिये जिससे कि उनको ज्यादा तकलीफ न हो । यह भी एक अच्छा इसमें संशोधन है और यह इसमें देखने का प्रयास करें कि किस तरह से कोई ऐसी विधि निकल सकती है, जिससे उनको निर्दयतापूर्वक बध न हो, बल्कि आसानी से और जल्दी से जल्दी उनके प्राण निकल सकें । इन बातों को देखते हुए इस बिल को जो मैंने बात कही कि कहीं-कहीं जितना कड़ापन इसमें होना चाहिये, वह इस बिल में नहीं है, लेकिन फिर भी यह बिल उपयोगी है और इसी लिहाज से मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष जी, यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, मैं इसकी भावना से तो सहमत हूं लेकिन मेरी मान्यता यह है कि यह कानून अभी भी अधूरा है ? बात की गई है कि दया का भाव भारतीय संस्कृति की विशेषता है । यह बात सही है कि चराचर के प्रति दया दिखाना भारत और भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इस संशोधन को लाये हैं उन्होंने पशुमात्र के प्रति दया का भाव नहीं दिखाया । यह ठीक है कि पशुओं को क्रूरता से वध करने का जो काम है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पशुमात्र के लिये इसमें दया का भाव नहीं है । सारा देश इस बात से परिचित है कि हमारा देश एक कृषिप्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहां की सारी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत हद तक पशुओं पर निर्भर है । गाय, बैल और अन्य पशु या जो दुधारू पशु हैं, ये सब हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं । अगर मैं यह कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी । अभी मेरे पूर्ववक्ता माननीय कुशवाह जी सरकारी संत के संबंध में कह रहे थे । परन्तु महात्मा गांधी ने तो गो वंश की रक्षा के लिये यहां तक कह दिया था कि गो हत्या रोकना, मेरे लिये आजादी जैसी महत्व की बात है । पर यह जो कानून लाया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से गोवंश की हत्या को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है । देश में गो हत्या के रोकने के लिये सरकार कानून बनाये । इसलिये सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये सोचना चाहिये कि इस बारे में वह क्या कर सकते हैं । केवल इतना ही सवाल नहीं है, आजकल तो एक बात और है कि पशुओं से खाद और ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है । खाद का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये होता है । आजकल यह बात कहना कि अगर कोई पशु, जो दुधारू नहीं है वह अनुपयोगी है यह बात सही नहीं है । दुधारू पशु जो

(श्री प्यारे लाल खंडेलवाल)

दूध नहीं देते है, अगर उनको गोशाला में रखा जाये, तो उनकी खाद से ऊर्जा मिल सकती है, उनकी खाद को खेतों में. जमीन में, डाल कर अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह प्रश्न अलग है। प्रश्न इस बात का है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, इस कानून के अन्तर्गत जो संशोधन सरकार रखने जा रही है, उस सम्बन्ध मे मैं कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह जो भारत पशु कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, पशु कल्याण बोर्ड में जो संशोधन लाये जा रहे है, इसमें कई खामिया है। जैसा कि मेरे माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा है नगरपालिका क्षेत्र में जो इनकी संख्या 5 थी, उसकी जगह दो क्यों कर दिया, इसका क्या कारण है? फिर भारत पशु कल्याण बोर्ड जो बनाया जा रहा है उसमें अब 28 सदस्य होंगे और 28 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चयन होगा, वह सदस्यों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि इनको सरकार नामजद करेगी। अभी यह बात ठीक कहीं गई है कि बोर्ड का हैड-आफिस होगा मद्रास में और अध्यक्ष रहेंगे दिल्ली में। सवाल यह है कि इस तरह प्रशासन कैसे चलेगा। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि इस कल्याण बोर्ड के द्वारा जो मान्यता-प्राप्त 60–65 संस्थायें हैं, जो संस्थायें पशु कल्याण का काम करती हैं, क्या उनके प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में नहीं रखा जा सकता? ऐसे लोग जो पशु कल्याण के काम में रुचि रखते है, इसके विशेषज्ञ हैं, क्या उनको इस बोर्ड का अध्यक्ष सरकार नहीं बना सकती? अगर सरकार इस बोर्ड में पदाधिकारी नियुक्त करते समय केवल इस बात का ध्यान रखेगी कि कौन रिटायर हो रहा है, किससे राजनैतिक स्वार्थ पूरा हो सकता है, किसे उन्हे खुश करना है और वही अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वही होगा जैसा अभी तक होता रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष और पदाधिकारी वही बनाये जाते हैं जो कहीं न कहीं रिजेक्ट होते हैं या जिन्हें राजनैतिक दृष्टि से खुश रखना होता है।

ऐसे लोगों को किसी न किसी बोर्ड या निगम में नामजद किया जाता है, अभी तक का इतिहास तो यह है और क्या पशु कल्याण बोर्ड में इस तरह के अधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाये जायेंगे? होना यह चाहिए कि सरकार को अपने संशोधन में यह बात बहुत साफ तौर से लिखनी चाहिए कि पशु कल्याण बोर्ड जो बन रहा है, सारे देश का, उसमें जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा, जो बोर्ड के सदस्य होंगे वे सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी पशु कल्याण संस्था से संबंधित होंगे, जिनकी इस कार्य में रूचि होगी इस प्रकार का यह संशोधन होता तो ठीक होता। एक बात और कही गई है। कानून की बात अभी आई है कि दंड 50 रुपये कर दिये है, मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि जिस पशु की हत्या की जाती है, उसकी कीमत से ज्यादा दंड रखें, आर्थिक रूप में तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे पता है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ घटनायें हो रही हैं। दुधारू पशुओं को, कृषि उपयोगी पशुओं को बैलों को जहर देकर मार दिया जाता है और बाद में उसकी हड्डियां निकाल कर फर्टि-लाइजर के कारखानों में बेच दिया जाता है। इसके लिये क्या किया जा रहा है? 50 रुपये के दंड से इस प्रकार की घट-नाओं को नहीं रोका जा सकता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। कसाई-खानों की बात आई। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं

कि गर्भवती पशुओं को किस क्रूरता से मारा जाता है नर्म चमड़ा प्राप्त करने के लिये । चार-छः महीने का बच्चा जो गाय या बकरी के पेट में होता है, उसको मारने के लिये, उसको पशुओं के पेट में से निकालने के लिये जिस बेरहमी से कसाई घर में उसको मारा जाता है, मैं समझता हूं कि उसकी रोक के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है । यदि 50 रुपये दंड है और उसमें किसी को पांच सौ छः सौ रुपये कमाना है, तो वह आसानी से 50 रुपये दंड दे देगा । इस विधेयक में इसके लिये कोई प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है । इस संबंध में प्रश्न केवल यहां इसी प्रकार के पशुओं का ही नहीं, जंगली पशुओं का भी सवाल है । आजकल सांपों की खाल का व्यापार बहुत तेजी से चल रहा है । यह ठीक है कि सांप अपने आप में एक नुकसानदायक जन्तु है, लेकिन जिस बेरहमी से सांपों को मारा जाता है इसके बारे में पिछली बार अखबारों में आया था, आन्ध्र की घटनायें छपी थीं कि सांप को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है । उनकी खाल निकाल कर अवैध व्यापार करोड़ों रुपये का हो रहा है । यह हाल जंगली पशुओं का होता है । हिरण मारे जाते हैं । खरगोश की नस्ल खत्म होती जा रही है । सरकार इसके बारे में क्या सोचती है । इस प्रकार से पशुओं का क्रूरतापूर्वक वध किया जा रहा है नस्ल खत्म हो रही है । नीलगाय खत्म हो रही है । गैंडा खत्म हो रहा है । यह सब व्यापार के लिये हो रहा है और इस दृष्टि से मेरा यह सुझाव है कि यह जो बिल लाया गया है यह अधूरा है । सरकार इस पर पुनः विचार करके इसको समुचित कानून के रूप में प्रस्तावित करे । उसको सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये, क्योंकि अधूरा कानून लाने से कोई लाभ नहीं होगा । यह बात ठीक है कि कानून लाना चाहिए और पशुओं के ऊपर दया दिखानी चाहिए । इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जो इसमें कमियां हैं, सरकार उन पर भी विचार करे । छुट-पुट रूप से संशोधन ला कर पास करने के बजाय इसको सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करे, ताकि पूरी तरह से विचार करके इसको एक समुचित कानून बनाया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the historical and cultural aspects of the matter have brilliantly been dealt with by the other speakers. The main purposes of the amending Bill appear to be four. No. 1: The Animal Welfare Board constituted in 1962 is proposed to be given a national character and would now be called the "Animal Welfare Board of India" which would be a broad-based body. No. 2, to make provisions for rescue homes and shelters for animals. Number 3., to prohibit malpractices for improving lactation. And number 4: to control and supervise experiments on animals.

The crying need of the hour, Sir, as in the case of the Blackmarketing Act, amendments to which were passed yesterday, is the strict implementation of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, which would include these amendments, coupled with incessant educative propaganda by a well-knit machinery which is to operate under the supervision of this All-India Board.

What is the position today? What is the actual state of affairs? The other speakers have given many examples. Let me cite a few instances. If you go to the kathals of any of the metropolitan cities of India where milch cow and buffaloes are kept, you would find that they are injected every day for improving lactation and the milk that is produced out of them is supplied to the customers for consumption. Many of their calves are deliberately injured in order that they could be sold in the market as quickly as possible. Secondly, particularly in metropolitan cities, which are thickly populated, the

[Shri Sankar Prasad Mitra]

methods of catching street dogs, which constitute a menace to the public, are still primitive and cruel, apart from the negligence of the authorities concerned to act promptly and diligently. Thirdly, Sir, go to the slaughter houses. In the city of Calcutta, there is a voluntary organisation called "All Lovers of Animals Society". I was informed only the other day by one of the active members of this organisation that one of the slaughter houses was supplied with modern instruments for painless killing. But the slaughter house people are unwilling, are reluctant to use this machine because they are afraid of being electrocuted.

Then, Sir, there are prejudices of conservative sections of various religious communities regarding the methods of killing the animals or birds for human consumption. In a secular society, no law can be applied to such prejudices. These prejudices can only be removed by educative propaganda. These methods which are applied in temples, mosques and various other places are not only cruel but they are barbarous and unsuited to a civilised community. But the practices are going on because we have failed to convince our own people.

Sir, the medical facilities for animals are also inadequate even in the urban areas, not to speak of the villages. Then again beasts of burden are mercilessly treated and the agencies to stop these cruelties are either inadequate or easily purchaseable.

These are the various problems, various difficulties which the authorities have to face and the law-implementing authority has to face them boldly and courageously if this Act is intended to be sincerely and seriously applied.

It should however be admitted. Sir, that in recent times arrangements have been made, in fact, elaborate arrangements have been made, in many of the States for wildlife preservation. I have seen some of these arrangements in the States of Bihar, Kerala, Assam, Rajasthan and West Bengal in their reserve forests or sanctuaries, and I hope the problems that these forests and sanctuaries are facing—problems of poaching, of indiscriminate hunting expeditions by the rich and the affluent, etc.—would soon be overcome.

The Government should also pay more attention to better maintenance and preservation of zoological gardens and the environmental problems of these gardens. You will be surprised to know, Sir, that in one of the zoological gardens in our country, of which we were all proud, something very strange has recently happened. A portion of the land of that zoological garden has been leased out and a five-star hotel complex is coming up there. How a five-star hotel complex in the metropolitan city of Calcutta would improve the atmosphere of the zoological graden my small intellect fails to understand. (*Time-bell rings*).

Sir there are all matters to which I draw the attention of the hon. Minister and I hope, since this is a Concurrent subject—a subject in the Concurrent List of our Constitution— you would take some active steps in this behalf.

With these few words, Sir, I support the Amendment Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The time given for this Bill by the Business Advisory Committee is over. So, since there are four or five speakers more, I would request them to be a little brief so that we can conclude the Bill today. Shri S. K. Sahu.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to support this Bill. The aims and objects of this Bill as presented in this House are very clear but while we go through and discuss the Bill, I would like to say some thing.

We have already discussed in this House the cultural and traditional background of kindness to animals in this country which has been there for thousands of years. But, more than that, it has also been stressed that for reasons of economy, still 70 per cent of our population depends on agriculture. But since mechanisation has not come in a big way into the agricultural sector, our people depend on the bullock. Not only that. Bullock carts carry more

kilometre tonnes of goods than the Indian Railways in which we have invested thousands and thousands of crores in this country today. So, for the country's development, it is necessary that there must be something for the development, care and maintenance of the animals. This is necessary if we want that our economy should develop.

While having a technological approach to the problem, we have to say another thing also. The world is facing an energy crisis and, as you know, where science and technology is concerned today, animals are not only the carriers of goods or are used for ploughing the fields but they also give us potentialities for creating energy by which millions of people can cook their food. So, whatever Lord Krishna told or Bhagwan Buddha told cannot be neglected in a country like India where agriculture is the prime factor. Sir, I think this Bill is very important and it should be given more time and there should be a more serious thought over the problem. Sir, in this world, science and technology is changing very fast, but still we have to see that in the present days, whatever we may say, what is more necessary is the implementation of the laws. It is very difficult to implement the laws. By what was said or done by Bhagwan Buddha or Lord Krishna, the society carried a sense of purpose, a sense of dedication to the animals. But now whatever law you may pass in the House. I would humbly submit, cannot be enforced properly in a vast country of so many villages where we have the largest population of cattle, of cows and bullocks, in the whole world. It is not possible that these laws can be implemented everywhere.

So, Sir, I not only support this Bill but I would also humbly submit to the hon. Minister that there must be a national consensus which must be created about the utility of taking care of the health of the animals and giving them proper care in the interest of development of the society.

Then, coming to the Bill, I would like to humbly submit that it is true that there has been some new thought which has been injected in the Bill, like naming it as the Animal Welfare Board of India, to give it a national character. Very correct. It is said here:

"three persons who, in the opinion of the Central Government, are or have been actively engaged in animal welfare work and are well-known humanitarians, to be nominated by the Central Government."

But India is such a vast country. How can that be considered adequate? Many people have dedicated their lives for love of the animals, who have done yeoman's service to the country and also for preservation of wildlife, like Dr. Salim Ali who has become a world known figure for preservation of the rarest species which are going to be extinct from the country.

Then I pose a question here. It is a question addressed not to the Minister or the Government but to the society in general. We see the purpose of the original Bill which came in 1960. It was mainly to see that the animal life is protected. We have enacted so many laws like Preservation of Animals Act, this Act, but we see that the rare species are going to be extinct from this country. For some reason or the other, for commercial reasons, we find that their number is depleting. It is a national calamity for the country because of three things. These animals are there not for tourists or other things. They are necessary from the point of view of ecological balance also. Sir, if we do not maintain, as rightly pointed out by the previous speaker, the social environment, the natural environment, if we allow one to be extinct, the other cannot survive.

Then I come to the other point. The Indian economy is dependent on bullock-cart. Whatever progress in science and technology we may have made, we cannot ignore it. If we analyse it in actual terms, we find that, in spite of spending thousands of crores of rupees on the development of Railways, the bullock-cart is still the main carrier of goods. As I was saying in the beginning, they carry more in terms of kilometres and tonnage than the Railways or the Airways. So we see the importance of it.

Now, coming to the Bill, I was trying to say that the Government should bring

[Shri Santosh Kumar Sahu]

a new thought and a comprehensive Bill where we can take into consideration these new developments. Then we have to develop some institutions. We cannot really say: You are the people who have to keep them and you have to feed them. When the people are under-fed, how can we force them to feed the animals? Whatever rules you make, I apprehend that all these noble ideas and pious wishes expressed in the Bill, cannot bear fruit. I would like to ask you one thing. It is true that some cruelty is done deliberately. We punish them. There is nothing wrong in it. But, Sir, in this country we have the largest anmial stock in this world. If we say that any police officer above the constable can prosecute any keeper of an animal, who is not giving proper food, half of the people of India would be prosecuted. It is a very funny thing. These laws, if we make, cannot be enforceable. *(Time bell rings).*

Coming to another part of the Bill, I would like to say something. I hope you will give me more time. Sometimes the laws are made with very good wishes, but the implementing and the prosecuting authorities do not think about the intention of the law. The letter of the law is followed. If we have many laws like this, I think it does not help. Instead of that. what I am saying is that the veterinary service, the insurance service and also the *pinjrapole* and other things must be improved. There are other very important things in the country. There is no quality control over the cattle fodder. These things should take place.

Dr. Mitra told very nicely that there should be education and propaganda. People must be aware that cattle is doing immense good to us and that we must see that they are properly maintained. So. many institutional devices can be found out in the country so that the animal health can be properly maintained and improved. That is why the necessary veterinary bill is coming. I am suggesting about it, not only the Veterinary Council Bill which has gone to the Select Committee.

One important thing, we are forgotting in this country today. It is not that this country was without science. It has very developed science under veterinary also. We have not recognised vaidya uptill now. Many cows and bullocks are benefited. Even in the field of medical science, China is taking acupuncture to other developing countries. That was in India also. We are forgetting that. The veterinary bills which are coming will also take into consideration the local, indigenous, products. It has done immense good. I saw an inscription in Orissa written after Ashoka's Kalinga War, saying, "Be kind to 'animals." There must be places for treatment of animals. This should be taught.

We foregt them. We see modern science. We have the veterinary bill. There are now trained people. How can the people get benefit? We talk of the common farmer. The veterinary doctor does not go to him So, it is necessary in this country. Animal has helped the human society to grow. It is necessary that the institutional services for them should also grow. It is necessary that more fodder, cheaper fodder, should be produced, an insurance scheme should come, the veterinary service must take into consideration the local *vaidyas*, and local, indigenous cheaper medicines can be produced. These things will really do some good to the whole country.

Coming to other points in this Bill, it has been mentioned:

"In section 11 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(ii) in clause (c), for the words "any domestic or captive animal", the words "any animal" shall be substituted;"

Again it is written:

"(iii) in clause (n), for the words "any captive animal", the words "any animal shall be substituted;"

So. Sir, twice they have done it. In one of the provision they could have kept "any domestic and captive animal" and in the other they could have kept "any animal". In both the places the substitution was not necessary.

Then, I only ask a question. Using an animal as a bait in a tiger or other sanctuary is not good. It is cruelty. I would like the hon. Minister to clarify in his statement whether cock fight and bird fight come under the entertainment provision or not. Many common people in these villages enjoy these games very much. So by this Bill, they may also be prosecuted because the laws are made here, they are interpreted by the courts and the prosecution is done by some other people. So it should be made clear that these games which are common entertainment for the common people of the country should not come under its purview. Then I feel that the provision for prosecution should have at least another sentence, that is, it should apply only when deliberately the animal is kept underfed or put to cruelty because when a man does not get food for himself, if he keeps a cow or a bullock, there is no alternative for him; he cannot feed it. So he should not be prosecuted unnecessarily. (*Time bell rings*) There are many other things, but you have already rung the bell thrice. I will only say that our animal wealthshould survive They have done us immense service and they will be doing us immense service. Let us try to develop some institutions by which we can preserve, protect and develop our animal wealth.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): All the remaining speakers are requested not to take more than two minutes each. Mr. Sukhdeo Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) उपसभापति महोदय, प्रिवेन्शन आफ क्रुएल्टी बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है मैं इसका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस बात का संकेत करना चाहता हूं, कि जानवरों के प्रति जो क्रुएलिटी बरती जाती है उसमें न केवल उनकी हत्या हुई है बल्कि उनके ऊपर जो बोझ ढोया जाता है और उनसे जो बुरी तरह से काम लिया जाता है उसमे वे असमय रास्ते में मर जाते है या उनके खाने पीने का प्रबन्ध न करके उनको असमय मार दिया जाता है। ये सारी बातें इसके अन्तर्गत आती है। दूसरी चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि मैं वैजिटेरियन, नान वैजिटेरियन और पौराणिक कथाओं पर नहीं जाता लेकिन भारत को देखते हुए इतना आवश्यक है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खाने की दृष्टि से उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे जानवर है जो अनुपयोगी साबित होते हैं। कुछ लोग उनमें से मांसाहार के लिये उपयोग में लाते हैं। मैं सब को निरामिष होने की शिक्षा नही देता हूं लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उन पशुओं को जो खाने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं उनको मारा जाता है। उनके जान लेने का तरीका होना चाहिए। जान लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे उनको ज्यादा तकलीफ न हो। एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वह यह है कि हम दुनिया के सारे रिकार्डों को देखें तो पश्चिम के जिलों में हम पाते है कि छोटे छोटे बच्चों को गर्भ से निकलने के साथ ही चमड़े के लालच मे हत्या कर देते है। पुराना तरीका जो हत्या का है वह यह है कि जानवरों के मुंह को बांध देते है। रात भर तड़प-तड़प कर मर जाता है और सुबह के वक्त उसका भक्षण करते हैं। यह तरीका दूसरे मुल्कों में है। हमारे मुल्क का तरीका जो है जानवरों की जान लेने का वह अपने ढंग का निराला है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। हमारे पांडे जी ने संकेत किया था कि हमारे देश से बंदरों का निर्यात होता है। स्टेशनों पर या हवाई अड्डों पर जहां से ये निर्यात होते हैं वहां हम देख सकते हैं कि छोटे-छोटे लकड़ी के कटघरे मे 10—15—20 बन्दर बंद कर दिये जाते है। इनके लिये न खाने की व्यवस्था है और न पीने की व्यवस्था है। वे उसमें चीखते, चिल्लाते मर जाते है।

[श्री सुखदेव प्रसाद]

काफी मुसाफिर वहां से होकर निकल जाते हैं लेकिन किसी की उस पर निगाह नहीं जाती है । सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है ।

दूसरी चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि बन्दर ही नहीं घोड़े जिन पर सवारी लाद दी जाती है, इक्के, गधे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिन पर सवारी लादी जाती है उनके लिये क्या प्रोविजन हो सकता है, इसको भी देखना जरूरी है ।

5 P. M.

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस के रूल बनाते समय यह प्रयत्न जरूर करेंगे जिससे इसका व्यापक प्रभाव पड़े । इसमे सवाल यह है कि इस बिल में पुलिस को जो व्यापक अधिकार दिये गये हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग हो । अगर कोई घरेलू जानवर पालता है और उसको ठीक ढंग से नहीं रखता है तो उन पर यह कानून लागू हो सकता है और उस पर पुलिस वाले मुकदमा चला सकते हैं । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा । पुलिस वालों की हालत को हम सब जानते हैं । जिस तरह से छोटी-छोटी बात को लेकर वे पैसा वसूल करने के चक्कर में रहते हैं, अगर वे किसी के दरवाजे पर बूढ़ा मवेशी देखेंगे तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश करेंगे । इसके साथ-साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बिल के तहत जो सजा की व्यवस्था की गई है वह बहुत नाकाफी है । इसमें लोग 10–20 रुपये जुर्माना देकर छूट जायेंगे । इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है ।

इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि किसी चिड़िया घर में मैंने यह देखा है कि अजगर के खाने के लिये उसके पिंजरे में खरगोश रखे जाते हैं । अगर उन खरगोशों को एकदम से सब के सब को खाता नहीं है और वे खरगोश हफ्तों तक वहां पड़े रहते हैं । वे बेचारे डर की हालत में वहां रहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की बातें भी क्रुएलिटी के अन्दर आती हैं या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे ।

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि पशुओं की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रश्न है एक तरफ तो हमारा यह दर्शन है और दूसरी तरफ हम उनके प्रति क्रूरता और बर्बरता और उनकी हत्या करते हैं । उसका फल यह ही रहा है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या कम होती जा रही है । इतनी कम होती जा रही है कि जो बड़े जानवर है उनकी संख्या 90 प्रतिशत खत्म हो चुकी है और जो छोटे जानवर हैं उनकी संख्या 75 प्रतिशत कम हो गई है । इसी प्रकार से पंछियों की संख्या भी 60% कम हो गई है । सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन उन कानूनों का इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है । अब आप यह संशोधन लाये हैं, लेकिन इससे पशुओं के प्रति जो बर्बरता और क्रूरता होती है उसका निवारण नहीं हो सकेगा । इसका कारण यह है कि पशुओं की जो हत्या होती है उसके अनेक कारण हैं । इसको रोकने में सरकार कहां तक सक्षम है, यह अभी

नहीं कहा जा सकता है । समाज के अन्दर कुछ खास वर्ग के लोग होते हैं जो पशुओं का शिकार करते हैं । कुछ शान-शौकत के लिये पशुओं का शिकार करते हैं । हमारे देश में चरागाह भी खत्म होते जा रहे हैं जिससे पशुओं को मारने में मदद मिलती है । हम चाहते हैं कि इस प्रकार से पशुओं की जो हत्या की जाती है उसके लिये कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए ।

तब तक वे मरते ही रहेंगे । जब तक जो लोग हंटिंग करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक पशुओं की हत्या होती रहेगी । चरागाह और जंगल मिटते जा रहे हैं । इससे वन्य पशुओं का ह्रास होता जा रहा है । चरागाह कम होते जा रहे हैं, इसलिये घरेलू जानवरों की संख्या कम होती जा रही है । इसके लिये जंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ जानवरों पर आश्रित हैं लेकिन वे स्वाह होते जा रहे हैं । जंगल तो कटेंगे ही वह इसलिये कटेंगे क्योंकि आदमियों की पापुलेशन बढ़ रही है और फर्नीचर बनाने केलिये, मकान बनाने के लिये और जलावन के लिये लकड़ी की जरूरत होती है । इसलिये आदमी आवश्यकतानुसार जंगलों को काटेगा ही । इसलिये इन चीजों का कोई अल्टरनेटिव आप निकालें । मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जंगलों की सुरक्षा से पशुओं की सुरक्षा हो सकती है । लेकिन जंगल तो कटेंगे ही क्योंकि आदमियों की पापुलेशन बढ़ रही है और इस कारण उनकी नीड बढ़ रही है, फर्नीचर के लिये, मकान के लिये और जलावन के लिये । तो इसके किसी अल्टरनेटिव की व्यवस्था की जाय ताकि जंगलो की रक्षा हो सके । इस संबंध में यदि आप सोचें कि अगर सिर्फ कानून बना दिया जाय कि पशुओं की हत्यायें न हों और इस तरह के काम न हों तो इसमे केवल काम चलने वाला नहीं है । इसके पीछे क्या कारण है उसको समझकर मानवीय समाज के लिये उसके अल्टरनेटिव की भी आप व्यवस्था कर दे ताकि जंगलों और पशुओं की सुरक्षा हो सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो वन्य जानवर हैं उन जानवरों की संख्या दिन ब-दिन कम होती जा रही है । इसी के साथ साथ जो घरेलू जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़ है, यह तो मालूम पड़ता है कि आदमी मुख्य रूप से इनका उपयोग दूध के लिये करता है । दूध का उपयोग बच्चे, गर्भवती मातायें और कमजोर लोगों के लिये लाभदायक है, लेकिन इनके चरागाह कम होते जा रहे है । इसलिये इसके लिये चरागाहों की व्यवस्था हो । अगर चरागाहों की व्यवस्था अच्छी होगी तो ये पशु ज्यादा दूध देंगे । बैल से हम खेती करते हैं । लेकिन उसको हम पौष्टिक आहार नहीं देते हैं । दिन भर काम करने के बाद उसको कुछ दे देते हैं, यह भी क्रूरता है । जिससे हम हर दिन काम लेते है उसको पूरा खाना न दें तो यह क्रूरता है । दूसरा जहां वह रहते हैं वहां का वातावरण बहुत गंदा होता है, उसके ऊपर बरसात का पानी पड़ता है और वहां बहुत मच्छर होते है । तो जब तक इन पशुओं का जहां पर उनको बांधा जाता है, जहां पर वे रहते हैं वहां का वातावरण अच्छा न हो उसका असर पशुओ पर अच्छा नहीं पड़ता है । इसमे जो है वह पशुओं की संख्या कम होती जा रही है और वे कमजोर हो रहे हैं । इसलिये मेरा आग्रह है कि पशुओं की सुरक्षा के लिए उनको पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, उनके लिये अच्छे वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि युग युगान्तर में

[श्री राम भगत पासवान]

पशु देवताओं के वाहन रहे हैं । यह ठीक है लेकिन आज के युग में पशु जो हैं वह वाहन का काम तो करते ही हैं साथ ही साथ यह मनुष्य जाति के लिए बड़े उपयोगी है । यह हमें दूध देते है, खाद देते हैं और गरीब लोग इन पशुओं का पालन करके अपना गुजारा चलाते है । ये पशु जो हमारे लिये इतने उपयोगी है उनकी तरफ हम न्याय नहीं करते हैं और उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या करते है, उनको पौष्टिक आहार नहीं देते है और उनको अच्छे वातावरण में नही रखते है, उनके लिये चरागाहों की व्यवस्था नहीं करते है, सरकार इनके लिये कोई विशेष योजना नही बनाती है और जब सरकार कोई योजना बनाती भी है तो वह केवल कागज पर ही रख जाती है । इस प्रकार पशुओं की सुरक्षा नही हो रही है । मेरा सुझाव है कि पशुओं की रक्षा के लिये विलेज लेवल पर आप वेटेरनरी-हास्पिटल खोलें । और आप पता लगाने की कोशिश करें कि उनको क्या-क्या बीमारियां होती है । पशुओं में एक बीमारी 'डक हा' बीमारी बाढ़ के बाद होती है । बाढ के बाद एक खड़ उपजती है जिसको पशु खाते हैं और उसमें पशु मर जाते है या बीमार हो जाते हैं । उस समय आप डाक्टर को खोजिये, डाक्टर नही मिलेंगे विलेज लेवल पर यदि मिलेंगे तो दवाइया नहीं मिलेंगी उसके पास । जब तक दवाई और डाक्टर का इंतजाम होगा तब तक इस दौड़-धूप में रहेंगे कितने पशु स्वाह हो जाते है । तो यह भी बहुत बड़ी क्रूयल्टी जानवरों के ऊपर है । इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि वेटेरनरी अस्पताल है, आपका जो विभाग है इसको भी आप सक्रिय बनाइये । उसमें कुछ जान लाइये । वह तो बिलकुल मरा हुआ जैसा है वह तो पशुओं से भी बढ़ कर मरा हुआ मालूम पड़ता है । इसलिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव है । हमारे पास कितने पशु है और कितने पशु मारे गये है । डाक्टर अवेलेबल हुआ तो दवाई अवेलेबल नहीं । इसलिए पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष योजना बनानी चाहिये और विशेष योजना बना कर अधिक से अधिक राशि खर्च करें । पशुओं के विकास के लिए आप योजना बनाइये तब इनकी सुरक्षा हो सकती है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे चिड़ियाघर भी देखने का मौका मिला है । वहां पर भी आपके जो पशु हैं उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता हैं । वहां पर भी पशु कमजोर हैं और उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है । डाक्टर की सुविधा चाहिये । इसलिए सरकार के संरक्षण में भी जो पशु हैं उनकी भी सुरक्षा अनिवार्य है । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि चाहे पशु सरकार के संरक्षण में हों, चाहे किसान के संरक्षण में हों, उन सब की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि इनके विकास के लिए चारा विकास योजना के अन्तर्गत गृहस्थ को आप पशुओं के आहार के लिए लोन देते है । हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति तभी होगी कि इतना दूध वह पैदा करे कोई पशु उसके परिवार को पालन-पोषण अधिक से अधिक दिया जाए । जिस प्रकार से हरित क्रान्ति साईंस और टेक्नोलोजी का विकास कर के की गई है उसी प्रकार से साइंस और टेक्नोलोजी का विकास करके श्वेत क्रान्ति लाई जा सकती है । साथ ही पशुओं को पौष्टिक आहार देकर देश में आप श्वेत क्रान्ति लाइये । श्वेत क्रान्ति नही होगी, दूध नहीं मिलेगा, दूध के केन्द्र नहीं खुलेंगे तो हरित क्रान्ति भी सफल नही हो सकती । इसलिए हरित क्रान्ति की सफलता के लिए आपको

श्वेत क्रान्ति लानी पड़ेगी और श्वेत क्रान्ति के लिए आपको पशुओं के संरक्षण की जरूरत होगी। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि गृहस्थ को जब आप लोन देते हैं, तकावी लोन देते हैं तो उनको कह दीजिये कि आपके पास जितनी खेती है उसका 10% से 14% भाग में आप हरा चारा लगाइये। जो पशुओं को खाने के लिए मिले। इसके बाद इसके साथ साथ चारा विकास का भी कार्यक्रम सरकार को चाहिये कि किसानों को डाइरेक्ट कर दे कि श्वेत क्रान्ति के लिए आप चारे का विकास करें। चारा जो वह 10% से 14% तक अनिवार्य रूप से वे लगावें ताकि बाढ़ के समय में पशुओं को चारा मिल सके खास कर पशुओं के आहार में कमी आती है। हरा चारा वे लगायेंगे तो पशुओं को खाने के लिए मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The last but one speaker now, Mr. Dhabe.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir, this Bill has got a wide canvas. India is a country where the animals are worshipped and where animals are also sacrificed in temples, in States like West Bengal and Assam. Sir, the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 has a broad canvas. The definition of the word "animal" therein says "any living creature other than a human being" which means that excepting the human being everything is covered under this Act. If it had a limited connotation, the matter would have been different. And therefore, under clause 5, under which the Board is to be constituted, I find that the number is very small. It is stated that the number of members representing municipal corporations is being reduced from five to two. When this Bill was passed in 1960, there were four corporations, Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. Now the number is more than 80. I do not understand why the number has been reduced. I think if you really want this Bill to be implemented, the number should be more. But instead of that, it has been reduced to two. I would like to know the basis on which it has been brought to two.

Secondly, I do not find any provision for State Boards or regional boards. I would like to know from the Minister whether the Central Board alone is going to administer such an important law, which is very necessary for our agricultural economy.

Then, I would like to know from the hon. Minister in this respect what will be the powers of the Board or officers in matters of implementation of this law. There is no such thing. Everything is left to rules. No guidance has been given in the Act itself.

Then, Sir, the most important question which is very necessary is about treatment facilities, etc. for domestic animals all over the country. These facilities are small. I find from the statement that veterinary services or centres are nearly 50,000. So with such number, how can you implement such an important law? Therefore, there must be a massive programme for expansion of such centres, otherwise if the animals become ill, they are bound to be killed and destroyed.

Therefore, the main question is linked up with expansion of facilities for veterinary purposes, and from that point of view I will like the Minister to throw light what is going to be done. Merely passing a legislation of this type or bringing forward amendments is not going to help.

I agree that deterrent punishment is no solution for such a problem. It requires immense education, and it is not a field in which you can enforce the penalty provisions very deterrently. The main thing is the machinery for implementation purposes. On that aspect of the Bill I would like the Minister to throw light.

Thank you very much. I support the Bill.

श्री धर्म चन्द्र (जम्मू और काश्मीर) उपसभाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक

[श्री धर्मचन्द्र]

इस सदन में प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि यह विधेयक उस बात को पूरा नहीं करता जितनी कि क्रूरता हम लोग पशुओं पर कर रहे हैं। आज भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है परन्तु पशुओं की अबादी घट रही है? यह भी एक सोचने की बात है, विचारणीय प्रश्न है। कहा गया है कि शेर भारत में घट रहे हैं। परन्तु शेर के अलावा एक और जानवर है जिसकी संख्या बहुत घट गयी है, वह मस्क डीयर, कस्तूरी मृग, जो कि वहां जम्मू प्रांत के पहाड़ों पर होता है। आज से 10-12 वर्ष पहले इसकी बड़ी संख्या थी लेकिन आज बहुत घट गयी है। 10 वर्ष हुए केन्द्रीय सरकार की एक टीम जम्मू गयी थी और उन्होंने प्रोपोजल रखा था कि यहां पर मस्क डीयर का फार्म खोला जाय। पर पता नहीं वह क्यों नहीं खोला गया। आज तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वह खोला नहीं गया है। इस तरह मस्क डीयर घटता गया। कस्तूरी एक बहुत कीमती चीज है इसलिए उसको पाने के लिए शिकारी जंगलों में चले जाते हैं पहाड़ों पर और उसको मार डालते हैं तथा कस्तूरी निकाल लेते हैं। यह वही चीज है जैसे एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो उसके मालिक ने सब अंडे लेने के लिए एक दिन मुर्गी को मार डाला। उसी तरह से मस्क डीयर का वहां मारा जाना एक बहुत बुरी चीज है।

इसी तरह से जो स्लाटर हाउस हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और कसाई जो उसको मारता है, उसका छुरा कभी-कभी कुंद हो जाता है। मैंने खुद देखा है कि एक कसाई का छुरा इस तरह से धंस गया था कि उसको एक झटके की बजाए दस झटके मारने पड़ते थे और जानवर तड़पता था।

इसके अतिरिक्त जो बंदरों के मुतल्लिक कहा गया है, मुझे एक ड्रग लेबोरेटरी में जाने का इत्तिफाक हुआ। एक बंदर पर तजुर्बा किया जा रहा था और उसको बहुत तड़पाया जा रहा था। मैंने कहा कि इसको इतना क्यों तड़पाते हो?

उन्होंने कहा कि यह थोड़ी देर में मर जाएगा। तो इस तरह जानवरों पर जो क्रूरता हो रही है और जो उस पर जुल्म हो रहा है, इस बिल से जरूर कुछ न कुछ घटेगा। लेकिन इसमें कुछ संशोधन और होना चाहिए ताकि इन पर जो जुल्म होता है, वह उतना न हो सके जितना कि हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे घोड़े, बैल और भैंसे जो गाड़ियां चलाते हैं, इन पर चाबुकें पड़ती हैं, इतनी सवारियां और सामान इन पर लाद दिया जाता है और इन पर जरा भी रहम नहीं करते और इनको बहुत भूखा रखा जाता है और जब वह मर जाते हैं, तो फिर इनकी खलासी होती है।

तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं, पहले गाय का दूध पीते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और वह रास्ते पर मर जाती है। तो इसके लिए भी कुछ संशोधन होना चाहिए ताकि गोशालाएं खोली जाएं। अगर सरकार गोशाला नहीं चला सकती तो जो प्राइवेट संस्थाएं चला रहे हैं, उनको कुछ माली सहायता दी जाए ताकि वह चला सकें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो है, यह पशुओं के प्रति बहुत ही समवेदना रखता है। हमारी परम्परा, संस्कृति जो है, उसमें भी यही लिखा है

कि पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति आप बहुत ही दया की भावना रखें। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो पशुओं के अलावा पक्षियों पर भी जुल्म करते हैं। उनको गोली मार डालते है और इस तरह से कुछ न कुछ ऐसा विधेयक होना चाहिए ताकि इनके प्रति जो क्रूरता हो रही है और जुल्म हो रहा है, उसको रोका जा सके।

अन्त में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा— यह जो हमारे बाल्मीकी ऋषि हुए हैं, हमारी संस्कृति के प्रथम कवि हुए हैं, उनका प्रथम श्लोक है, जो कि हमारे एक सदस्य ने पढ़ा भी था—

मा निषाद: प्रतिष्ठा त्वमगम: शश्वती समा:
यत् क्रौंच विधुनादेकम्वधी काममोहिताम्।

उस पक्षी के जोड़े को एक भील ने मार दिया था। उस पर बाल्मीकी ने कहा था कि देखो तुमने जो इस जोड़े को मार डाला, यह बहुत बुरा किया है और बाद का श्लोक जो है वह शोक से पैदा हुआ। तो इससे यही साबित होता है कि हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति बहुत ही समवेदना रही है।

अन्त में मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन): झा जी, आप थर्ड रीडिंग में जो कहना चाहते हैं, अभी बताइये।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): इस विधेयक के मुताल्लिक दोनों तरफ बातें आई हैं। जब दया होनी चाहिए, करनी चाहिए। जानवरों के प्रति पुराण और पुराने इतिहसा, सब कोट किये गये हैं। साथ ही साथ यह भी बात रखी गई है कि इसमें जो प्रावधान है, यदि वह जानवर को खाना न खिलाए, पानी ठीक वक्त पर न दे, तो उसको अफसर पकड़ सकता है, सजा दे सकता है। यह भी प्रावधान है।

तो बहुत कंट्राडिक्ट्री परिस्थिति आ जाती है। मैंने संशोधन दिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, इसीलिए मूव नहीं कर सका। जो प्रावधान है कि मंत्री के मूव करने क बाद सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। आप यदि मुझे इजाजत दें, तो मैं इस संशोधन को फिर मूव कर सकता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। कुछ बातें ऐसी है कि जिन पर ठीक से विचार करके एक कम्प्रीहेंसिव रूप में इसे लाया जाए।

यहां दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। उपसभाध्यक्ष जी, बुद्ध की कहानी कही गई है कि हंस को उन्होंने कैसे बचाया और सारे आदमी, जानवर, इन सबों का सारा इतिहास... लेकिन पांडे जी नहीं हैं और लाबी में मैंने उन को कह दिया कि राम हरिण के पीछे क्यों गए, यह बताइए ...(**व्यवधान**)...यह हमारी ही संस्कृति में है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हरिण के पीछे क्यों गए? इसी तरह से बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अशोक की बात उन्होंने कही। यह ठीक है कि अशोक ने हिंसा बंद करवा दी लेकिन इतिहास पढ़ कर देखिए— 100–200 हिरण उनके किचन में काटे जाते थे, आखीर तक। इतिहास को छुपाने की जरूरत नहीं है। साथ-साथ सुरक्षा की जो बात है वह भी बात उनके सामने थी। कई बातों पर ठीक से

[श्री शिव चन्द्र झा]

विचार करने की जरूरत है। एक बात यह भी कही गई कि इंटरटेनमेंट, मन-बहलाव के लिए यदि जानवर से जानवर लड़ाया जाता है तो वह बंद हो, यदि उसमें क्रुएलिटी पायी जाती है । एक पर्व हमारी तरफ होता है, जिस में सुग्रर बच्चे को ले आ कर उसको भैंसे को ले आकर मारते हैं.... (समय की घंटी)...यह खराब बात है ; लेकिन यह आप से आप बंद हो सकता हैं। फूल-देवता जो आपने कहा, गाय की उसमें मौत की जाती है। आप जानते हैं देहात में सांड़ को दागा जाता है । कितनी जगहों में सांड़ को ब्रैंड किया जाता है। तो ये सारी बातें खत्म हो रही हैं। लेकिन ये जो आप चाहते हैं इन्टेन्शनल उसमें नहीं होना चाहिए। लोग अपने पालतू जानवरों को अच्छी तरह रख सकें । इन्टेन्शनली खाना, कहीं से भी देखो, उसको करने की सामर्थ्य ही नहीं है।

अच्छा तो यह होगा कि जैसे आप इंश्योरेन्स की बात आती है, आपको कैटल इन्श्योरेन्स करना चाहिए उस में ये सारी बातें आ सकती हैं (समय की घंटी...) बोर्ड जो बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा। हम जानते हैं, ब्युरोक्रेसी के कब्जे में ही सब कुछ हैं। वेटरनरी डाक्टर भी होता है, हास्पिटल भी होगा, सब कुछ देखा जाता है लेकिन जिस तरह से स्लाटर का सिलसिला देश में चलता है, उसको आप रोकेंगे कि नहीं ? आपका विधेयक कहता है या नहीं, आंखों के सामने भैंसों को देखते हैं, खेतों में ले जाया जाता है। उसको रोकने में क्या आपका विधेयक लागू होगा। तो ये सारी बातें हैं—दर्शन की, हकीकत की, वस्तुस्थिति की। इन्हीं सब बातों के विचारने के लिए मैं फिर कहूंगा कि आप इजाजत दें कि मैं अपना प्रस्ताव रखूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए । इसमें अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उलट रही है, आसमान टूट रहा है। सिलेक्ट कमेटी में सब बातों पर गौर करना चाहिए। एक कांप्रिहेंसिव बिल आए तो अच्छा होगा वरना विधेयक आते हैं, ताक पर रख दिए जाते हैं। उन पर अमल नहीं हो पाता ।

श्री सुखदेव नारायण यादव (बिहार) : मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे उत्तरी बिहार में एक जगह सुरसंड है, जहां से संपूर्ण बिहार मे ही नहीं बल्कि सारे उत्तर भारत से भैंसों की अच्छी नस्ल मंगायी जाती है। जितने दूध के रोजगार करने वाले हैं वे अच्छी नस्ल की भैंस को ले जाते हैं, दूध निकालते हैं और बाद में उनको मरवा देते हैं। सरकार को इस तरह की हरकतों पर रोक लगानी चाहिए। अच्छी नस्ल के जानवरों को बड़े शहरों में ले जा कर दूध के रोजगार के बाद कटवाने नहीं देना चाहिए। इस से अच्छी नस्ल के जो दुधारु जानवर हैं देश के, उनका नाश होता जा रहा है। शहरों में मैं देखता हूं कि बकरी वगैरा पशुओं को काट देते हैं और जहां-तहां नाले के किनारे, गंदी जगहों पर टांगें रखते हैं। उससे बीमारी भी फैलती है, संपूर्ण बीमारियों के कीड़े, मक्खियां आदि लगती रहती हैं, वही गोश्त लोग खाते हैं। उससे बीमारी भी फैलती है और मानवीय दृष्टि से भी यह बहुत बुरा लगता है तो उनको काटने का स्थान सरकार की तरफ से हर शहर में निश्चित होना चाहिए ताकि वहां पर वैज्ञानिक ढंग से कम से कम तकलीफ देकर जानवरों को मारा जाए और नियत स्थानों पर उसे बेचा जाए। जानवर वहां रहते हैं, उसी के सामने जानवरों को काटा जाता है, यह भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी सरकार की ओर से कानून बनाना चाहिए।

[illegible]ना वगैरह में कछुए जो पानी [illegible] लोग उन्हें भी खाते हैं। उसको मार देते हैं तो उसके गोश्त से बदबू निकलने लगती है। लेकिन वहां उसको जिन्दा टांग कर रखे रहते हैं, जितना जो गोश्त लेना चाहे उसको उसमें से काट कर दे देते हैं। जिन्दा जानवरों के शरीर से मांस काट कर बेचा जाए, इससे बड़ी निर्दयता क्या हो सकती है। ऐसा आज भी वहां पर हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर कड़ाई से पाबन्दी लगाई जानी चाहिए कि ऐसा वह लोग नहीं कर सकें।

श्रीमन्, जो इंस्पेक्टर वगैरह बहाल किये जाते हैं, हमारे बिहार में मैंने देखा है। पशु क्रूरता निवारण निरीक्षक जो हैं वह जान-बूझकर ट्रकों पर जो लोग जानवरों को लाद कर ले जाते हैं, वही उनसे पैसा लूट लूट कर खा जाते हैं। वही इंस्पैक्टर कानून का दुरुपयोग करता है। रोजगार करने वाले लोग इधर से ऊधर बकरी और भेड़ ले जाते हैं ट्रकों पर, तो इसी से उसने लाखों करोड़ों रुपये बना लिए हैं। धनबाद में एक इंस्पैक्टर लखपति बन गया है, 5 लाख, 10 लाख रुपया उसने कमा लिया है। समाचार पत्र में भी यह खबर आई थी। सरकार की तरफ से इस पर कोई अमल नहीं किया गया। इस पर भी सरकार की ओर से कार्यवाही होनी चाहिए ताकि कानून की जो मंशा है उसे पूरा किया जा सके। इसके बारे में यही सुझाव देने थे, सरकार इन पर विचार करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) अब मंत्री जी जवाब देंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very grateful to all the hon. Members from this side and that side of the House for supporting this Bill and also for giving very valuable suggestions. Some of the Members have made very important point.

Shri Arabinda Ghosh mentioned yesterday about torturing of tigers and elephants. That comes under a separate Act—called the Wild Life Act, under which it is being protected and taken care of. Similarly, Mr. Goswami also mentioned about poaching that is going on of caps Rhinos. We are taking care of that also under the Wild Life Act.

So far as the present Act is concerned, I have to say something. Our great saints like Jesus Christ, Mohammad Nabi, Buddha and Mahatma Gandhi have all preached that we should be kind to the animals. In spite of that we had to bring a law to prevent cruelty that is being inflicted on the animals. This is a very unfortunate situation not only in our country but in the entire world. Some hon. Members have mentioned about proper veterinary dispensaries not being there, with the result that sick animals cannot be protected. I should like to mention to the hon. Members that we have got about 13,000 veterinary hospitals and dispensaries working in this country. Besides that, about 15,000 veterinary aid centres are also working. Also we have introduced a Bill in this House to protect and also enlarge the veterinary facilities. That is under the consideration of the Joint Select Committee. So we are taking care of that aspect. Also we will see that more veterinary hospitals and dispensaries are established in this country. Many Members mentioned about slaughter-houses. Sir, the slaughter-houses are being taken care of. In this project we have plan to construct slaughter-houses with Rs. 77 crores to be spent in the Sixth Plan period. There will be centres in places like goa, Durgapur, Bangalore, Calcutta, Madras, Hyderabad and Delhi and one centre in Jammu and Kashmir. We are taking care of all these things. Therefore, Sir, cruelty to animals is a very important item which we have to take care of.

[Shri R. V. Swaminathan]

Some Members mentioned about cattle insurance. That is also taken care of by our Department. It is in a different line and not in this Bill. But we are going to have this cattle insurance scheme.

Sir, this Bill is very important. You also, Sir, as a Member, while speaking pointed out certain important things and quoted some verses from *Thirukkural* of Thiruvalluvar. Some Members pointed out that some people indulge in giving injections to the milch cattle to get more milk from them. That is very bad and we are taking care of that also. Earlier it was not properly taken care of. Now that also comes under this and they will also be punished.

Many Members said that the punishment is very light and that we are going to impose a fine of only Rs. 25, Rs. 50 or like that. Sir, within three years if anybody commits the same offence, he will be sent to jail also. But, Sir, we must also realise that these people who indulge in this crime are all very poor people. They are villagers and farmers and also very innocent people. Without knowing what they are doing, they commit the crime. Therefore, Sir, we have to be a little lenient and we should not impose very high punishment which, if they cannot pay, they will have to go to jail only. Therefore, Sir, this is also a very important point which we have to keep in mind.

Many Members mentioned about the Animal Welfare Board. Already we had an Animal Welfare Board which was working very well under the chairmanship of Mrs. Rukminidevi Arundale. The Bard was doing very good work and Mrs. Arundale had earned the encomiums and praise of our Prime Minister. Such good work she had done. Now we are expanding the scope of the Board. Therefore, this Board will be constituted very soon and we will be selecting non-officials. The Chairman and Vice-Chairman will be non-officials only and not officials. That also I can assure the hon. Members.

The hon. Member, Mr. Sankar Prasad Mitra mentioned about a five-star hotel that is being constructed in Calcutta. Sir, it is true. We have taken objection to this. Our Prime Minister has also taken objection to this because they are giving some land from the zoo where the zoo dispensary is located. That dispensary area is being given to a private firm for constructing a five-star hotel. I also went to Calcutta to visit that spot. I feel it is not proper. After that, I had taken up the matter with West Bengal Government and also written to the Chief Minister of West Bengal Government. They are also hesitating but they want to give and they are justifying their stand. Anyway, we have not left it and I can assure Mr. Mitra that we are taking up this matter—we are pursuing this matter—with the West Bengal Government. And some Members mentioned about the cock fight. It is a cruel thing. I know as a young boy in my village, the cock fight was very popular and I used to enjoy it. But now when I think of it, I find it is a very very cruel thing. These people put a very sharp knife and also they tinge them with poison and they tie in the leg and allow the cocks to fight. It is a very very cruel thing. That we must stop. Now we are preventing that also under this Act.

With these words, I must say I am very grateful to the hon. Members who have made very good suggestions. We will see how best we can accommodate good suggestions when we make the rules.

With these words. I commend that the Bill be passed.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN): The question is:

"That the Bill to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4—Amendment of section 4

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Clause 4. There is one amendment by Shrimati Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): Sir, I am not moving. I would like to support this Bill wholeheartedly which has come before the House. I have made a few amendments and I would request the hon. Minister to kindly incorporate those amendments in the Rules which they are going to frame because the endeavour of the Government is to codify all the rules and regulations so as to prevent cruelty to animals and my endeavour was the same. As such, I would request the hon. Minister to kindly effect them. But I am not pressing my amendments since it would not be possible as we are in a hurry to pass the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—Amendment of section 5.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMAKRISHNAN): To clause 5, there are two amendments. Shrimati Malhotra, you are not moving.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: No, I am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R RAMAKRISHNAN): The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the B[illegible]

Clauses 6 to 8 were added to the [illegible]

Clause 9—Amendment of sectio[illegible]

THE VICE-CHAIRMAN (SH[illegible] R. RAMAKRISHNAN): There [illegible] amendment to clause 9. You a[illegible] moving it, Shrimati Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHO[illegible] No. I am not moving.

THE VICE-CHAIRMAN (S[illegible] R. RAMAKRISHNAN): The que[illegible] is:

"That clause 9 stand part [illegible] Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the B[illegible]

Clause 10—Amendment of sectio[illegible]

THE VICE-CHAIRMAN [illegible] R. RAMAKRISHNAN): There [illegible] five amendments to clause 10, N[illegible] to 8 by Shrimati Malhotra. You [illegible] not moving them

SHRIMATI USHA MALHO[illegible] No.

THE VICE-CHAIRMAN [illegible] R. RAMAKRISHNAN): No. [illegible] by Shri D. Heerachand.

श्री डी० हीरचन्द (तमिल[illegible] श्रीमन, मैं इस संशोधन पर ज्या[illegible] न देते हुए सिर्फ एक दो बातें [illegible] चाहता हूं। यह जो पशुओं के ऊपर [illegible] और बर्बरता होती है यह [illegible] बहुत शर्म की बात है और मैं [illegible] एक बात की तरफ ध्यान आकर्षि[illegible] चाहता हूं। मैंने इस बारे में [illegible] से प्रश्न भी पूछा था और उन[illegible] भी उन्होंने दिया है। यह [illegible] मिल्क डेरी पूना में है और [illegible] कालोनी में है, यह चीज यानी [illegible] है। इस पनीर में पशुओं [illegible] मिलाई जाती है। इसके [illegible] ध्यान आकर्षित किया था और [illegible]

सचमुच ... बड़ा है । जो लोग शाक ... साथ यह कितने शर्म की ... इस तरफ सरकार का ध्य... न करना चाहता हूं और ...हता हूं कि इसको तुरन्त ...य या जो पनीर मैनुफक्चर ... है उसमें लिखा जाय कि ...पाम यानी पशुओं की चर्बी ...। ताज्जुब की बात यह है ... चीज यानी पनीर को बनाने में ... रेनेट के बजाय मैकरोबदला ... का यूज कर सकते हैं। रिसर्च करके इस बारे में राय दी गई है। फिर भी पता नहीं क्यों चर्बी यूज की जा रही है। सरकार ने इस तरफ ध्यान ... है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता ... जहां पर अहिंसा परमोधर्म: का नारा गूज रहा है। मुझे तो यह शक हो रहा है कि अहिंसा परमोधर्म हिंसा परमोधर्म : हो रहा है। यहां हमारी लाबी में लिखा हुआ है कि "अहिंसा परमोधर्म:" लेकिन अपने देश में हिंसा की ऐसी बातें हो रही हैं जो कि सचमुच में हमारे लिए एक शर्म की बात है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं और मैं उनसे अपील करूंगा कि इस तरह की चीजों को फौरन बन्द किया जाय।

इसी तरह से जो और चीजें हो रही हैं, जैसे सौंदर्य बढ़ाने के लिए हत्यायें हो रही है इसको बन्द किया जाय। जो शैम्पू बनता है उसको सबसे पहले खलगोश की आंखों मे डालकर टैस्ट किया जाता है कि शैम्पू से उनकी आंखें खराब होती हैं या नहीं। तो इस तरह से जो हत्यायें होती हैं उनको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। जिस देश की संस्कृति इतनी ऊंची है, उसके अन्दर इस तरह की बातें होने लगे तो यह उचित नहीं है और फिर दूसरा इस संस्कृति को बनाये रखने का चारा हमारे पास क्या है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इसको बन्द किया जाय।

इतना कह कर मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करता हूं। I am not moving the amendment.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I want to say that so far as the slaughter houses are concerned, if inhuman methods are adopted to kill, this Act can take care of them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Very sorry. They are not moving the amendments.

The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Shrimati Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: I am not moving amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clauses 12 to 18 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, I move·

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 15th of July, 1982.